रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 219]	नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 8, 2015/चैत्र 18, 1937
No. 219]	NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 8, 2015/CHAITRA 18, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2015

सं. 11/2015 - सेवा कर

सा.का.नि. 274(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (एतश्मिन पश्चात् जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की धारा 93 की उपधारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, कराधेय क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्क्रिप के एवज में प्रदान की गई या प्रदान किये जाने के लिए सहमति दी गई कर योग्य सेवा को उस पर उक्त अधिनियम की धारा 66 ख के अंतर्गत लगाये जा सकने वाले संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करती है।

2. प्रवर्तन- यह अधिसूचना भारतीय योजना के तहत सेवाओं का निर्यात ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप पर लागू होगी जो कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.08 के साथ पठित पैरा 3.10 के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा जारी की गई हो ।

3. यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, नामश :-

(1) यह कि अधिसूचना सं. 25/2015 – सीमाशुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015, के पैराग्राफ 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों (1) और (2) का पालन किया गया है और उक्त स्क्रिप, उक्त स्क्रिप पर उल्लखित पंजीकरण पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी के यहां पंजीकृत है (जिसे इसके बाद उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी कहा गया है);

(2) यह कि स्क्रिप धारक, जिसे कर योग्य सेवाएं प्रदान की गई है अथवा प्रदान किये जाने की सहमति की गई है, कर योग्य क्षेत्र में स्थित होगा;

(3) यह की स्क्रिप धारक जो कि वह व्यक्ति हो सकता है, जिसे मूल रुप में स्क्रिप जारी की गई थी अथवा कोई हस्तांतरित धारक हो सकता है, वह उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी को संबंधित स्क्रिप को प्रस्तुत करते हुए उसके साथ एक पत्र तथा इनवाईस अथवा चालान अथवा बिल, जैसा भी मामला हो, जिसे सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4 (क) के अंतर्गत सेवा प्रदाता द्वारा जारी किया गया है तथा उसमें न्यायनिर्णयन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी (तत्पश्चात उक्त अधिकारी के रुप में सदंर्भित) का ब्यौरा, प्रदान की गई अथवा प्रदान किये जाने वाली सहमति वाली कर योग्य सेवा का विवरण, मूल्य तथा उस पर लगने वाले सेवा कर को इंगित किया गया है;

(4) यह कि उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 25/2015-सीमाशुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015, अधिसूचना सं. 21/2015 - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 8 अप्रैल, 2015 के तहत नामे की गई राशि तथा इस छूट के अंतर्गत पहले ही नामे की गई राशि को ध्यान में रखते हुए स्क्रिप में या उसके पीछे उ**द्ग्र**हणीय सेवा (इस छूट के बिना) कर को नामे करेगा, उस पर आवश्यक ब्यौरे भी लिखता है, अपने अभिलेखों को अद्यतन करता है, तथा इन कार्रवाइयों की लिखित सलाह उक्त अधिकारी को भेजता है;

(5) यह कि उक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा स्क्रिप में लगने वाले सेवा कर नामे करने की तारीख को सेवा कर के भुगतान की तारीख के रुप में माना जायेगा;

(6) यह कि यदि लगने वाला सेवा कर कराधान बिंदु नियमावली, 2011 के श**र्तों** के अनुसार निर्धारित किये गये कराधान बिंदु नामे किये जाने की तारीख से पहले हो अथवा कराधान बिंदु नियमावली, 2011 के नियम 4 की श**र्तों** के अनुसार निर्धारित की गई कर की दर, इनवाइस, बिल अथवा चालान, जैसा भी मामला हो, में उल्लिखित सेवा कर दर से यदि अधिक हो, तो स्क्रिप धारक ऐसा ब्याज अथवा ब्याज सहित ऐसा सेवा कर जो कम दिया गया है, जैसा भी मामला हो, का भुगतान करेगा;

(7) यह कि स्क्रिप धारक उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा नामे कि गई स्क्रिप को तीस दिन के अंदर उक्त अधिकारी को इस वचनबद्धता के साथ प्रस्तुत करेगा कि यदि स्क्रिप में सेवा कर नामे में कोई कमी रहती है तो, वह लागू ब्याज सहित ऐसा सेवा कर का भुगतान करेगा;

(8) यह कि उक्त लिखित सलाह तथा वचनबद्धता के आधार पर, उक्त अधिकारी स्क्रिप के पीछे लगने वाले सेवा कर के विवरण को सत्यापित तथा वैध करेगा, जोकि उक्त सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा नामे किये गये थे तथा ऐसा सेवा कर तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान का रिकार्ड रखेगा;

(9) यह कि सेवा प्रदाता उक्त सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा नामे की गई तथा उक्त अधिकारी द्वारा सत्यापित की गई और स्क्रिप धारक द्वारा अनुप्रमाणित की गई स्क्रिप की एक प्रतिलिपि इस अधिसूचना के अंतर्गत कर योग्य सेवाओं के उपबंधों के समर्थन में अपने पास रखेगा; तथा

(10) यह कि उक्त स्क्रिप धारक, जिसे कर योग्य सेवाएं प्रदान की गई थी अथवा प्रदान किये जाने की सहमति दी गई थी को स्क्रिप में नामे की गई सेवा कर के समक्ष जिसे उक्त अधिकारी द्वारा वैध किया गया था उक्त अधिनियम की धारा 66ख के अंतर्गत सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट अथवा प्रति अदायगी का लाभ प्राप्त करने की हकदारी होगी।

4. इस अधिसूचना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को दिए जाने वाली कोई भी राशि उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत वसूली योग्य होगी।

स्पष्टीकरण. – इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, -

(क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापर नीति, 2015-2020 से है जिसका प्रकाशन भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 01/2015-2020, दिनांक 1 अप्रैल, 2015 समय-समय पर यथा संशोधित, के द्वारा किया है;

(ख) "कराधान के बिंदु" का अर्थ वही है जो कि कराधान बिंदु नियमावली, 2011 के नियम 2 के उपवाक्य (ड.) के अंतर्गत इसके लिए दिया गया है;

(ग) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय उस विदेश व्यापार महानिदेशक से है जिसकी नियुक्ति विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत की गई है या ऐसे अधिकारी से है जिसे उसके द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकार प्रदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

(घ) "स्क्रिप" से अभिप्राय ऐसे भारतीय योजना के तहत सेवाओं का निर्यात ड्यूटी करे्डिट स्क्रिप से है जो कि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.08 के साथ पठित पैरा 3.10 के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा किसी निर्यातकर्ता को जारी की गई हो।

[फा. सं. 605/55/2014-डी बी के]

संजय कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2015

No. 11/2015–Service Tax

G.S.R. 274(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable services provided or agreed to be provided against a scrip by a person located in the taxable territory from the whole of the service tax leviable thereon under section 66B of the said Act.

2. Application.–This notification shall be applicable to the Service Exports from India Scheme duty credit scrip issued by the Regional Authority in accordance with paragraph 3.10 read with paragraph 3.08 of the Foreign Trade Policy.

3. The exemption shall be subject to the following conditions, namely:—

(1) that the conditions (1) and (2) specified in paragraph 2 of the Notification No. 25/2015-Customs, dated the 8th April, 2015 are complied and the said scrip has been registered with the Customs Authority at the port of registration specified on the said scrip (hereinafter referred as the said Customs Authority);

(2) that the holder of the scrip, to whom taxable services are provided or agreed to be provided shall be located in the taxable territory;

(3) that the holder of the scrip who may either be the person to whom the scrip was originally issued or a transferee-holder, presents the scrip to the said Customs Authority along with a letter and an invoice or challan or bill, as the case may be, issued under rule 4A of the Service Tax Rules, 1994 by the service provider indicating details of his jurisdictional Central Excise Officer (hereinafter referred to as the said Officer) and the description, value of the taxable service provided or agreed to be provided and service tax leviable thereon;

(4) that the said Customs Authority, taking into account the debits already made under notification number 25/2015-Customs, dated the 8th April, 2015, notification No. 21/2015-Central Excise, dated the 8th April, 2015 and this exemption, shall debit the service tax leviable, but for this

exemption in or on the reverse of the scrip and also mention the necessary details thereon, updates its own records and sends written advice of these actions to the said Officer;

(5) that the date of debit of service tax leviable, in the scrip, by the said Customs Authority shall be taken as the date of payment of service tax;

(6) that in case the service tax leviable as per the point of taxation determined in terms of the Point of Taxation Rules, 2011 is prior to date of debit or that the rate of tax determined in terms of rule 4 of the Point of Taxation of Rules, 2011, is in excess of the rate of service tax mentioned in the invoice, bill or challan, as the case may be, the holder of the scrip shall pay such interest or short-paid service tax along with interest, as the case may be;

(7) that the holder of the scrip presents the scrip debited by the said Customs Authority within thirty days to the said Officer, along with an undertaking addressed to the said Officer, that in case of any service tax short debited in the scrip, he shall pay such service tax along with applicable interest;

(8) that based on the said written advice and undertaking, the said Officer shall verify and validate, on the reverse of the scrip, the details of the service tax leviable, which were debited by the said Customs Authority, and keep a record of payment of such service tax and interest, if any;

(9) that the service provider retains a copy of the scrip, debited by the said Customs Authority and verified by the said Officer and duly attested by the holder of the scrip, in support of the provision of taxable services under this notification; and

(10) that the said holder of the scrip, to whom the taxable services were provided or agreed to be provided shall be entitled to avail drawback or CENVAT credit of the service tax leviable under section 66B of the said Act, against the service tax debited in the scrip and validated by the said Officer.

4. Any amount due to the Central Government under this notification shall be recoverable under the provisions of the said Act and the rules made there under.

Explanation.— For the purposes of this notification,—

(A) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2015-2020, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry notification number 01/2015-2020, dated the 1st April, 2015 as amended from time to time;

(B) “Point of taxation” shall have the same meaning assigned to it in clause (e) of rule 2 of the Point of Taxation Rules, 2011.

(C) “Regional Authority” means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorised by him to grant an authorisation including a duty credit scrip under the said Act.

(D) “Scrip” means Service Exports from India Scheme duty credit scrip issued to an exporter by the Regional Authority in accordance with paragraph 3.10 read with paragraph 3.08 of the Foreign Trade Policy.

[F. No. 605/55/2014-DBK]

SANJAY KUMAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.